डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 222/2021

1. महेन्द्र 2. सुरेन्द्र कुमार	पुत्रगण, शंकरलाल	अकवाम कुम्हार निवासीयान झुरीयावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी झुरीयावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी झुरीयावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप तावणिंया अधिवक्ता, राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 209 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

चक 9 एस.टी.बी. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/64 के पत्थर नं. 44/356 (37) के किला नं. 12/0.506, 3/1 में 0.126, 8/1 में 0.126, 9 ता 12/1.012, 13/1 में 0.126, 18/1 में 0.127, 19 ता 22/1.012, 23/1 में 0.127 = 3.162 हैक्ट. अनकमाण्ड में हिस्सा 2/4 का काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.22 12:21:55 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा